दिनांक 5 जून, 1985

सं. ओ. वि./गुड़गांवा/40-85/24293.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. निग्रो लि., दिल्ली रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्री चरण सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3श्रम/68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री चरण सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./सोनीपत/10-85/24300.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. परिवहन आयुक्त हरियाणा, चन्डीगढ़ । 2. जनरल मैनेजर, हरियाणा रोड़वेज, सोनीपत, के श्रमिक श्री रणबीर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए-एस. ओ.(ई)श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री रणबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

जे० पी० रतन,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDING AND ROAD BRANCH

The 8th April, 1985

**No. 4/292-B&R(E)-1-83.**—Consequent upon the successful completion of his training Shri Subhash Chander Aggarwal, Assistant Engineer (Electrical) is appointed as Assistant Engineer (Electrical) on temporary basis in the time scale of Rs 940—40—1100—EB—50—1400—60—1700—EB—75—2000 with effect from 24th September, 1983.

KIRAN AGGARWAL,

Commissioner and Secretary to Government. Haryana,
P. W. D., B. & R. Branch.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDING AND ROADS BRANCH

The 28th June, 1985

**No. 4/313-B&R(Estt)-2-80.**—In pursuance of the provisions under Rule 8(9) of the Punjab Service of Engineers, Class I P. W. D. (B&R) Branch Rules, 1960, the Governor of Haryana is pleased to

declare, in consultation with the Haryana Public Service Commission, the following officiating Executive Engineers as suitable for appointment to the Haryana Service of Engineers, Class I (Civil) P. W. D., B. & R. as per recommendations of the Screening Committee meetings held on 16th May, 1930 and 12th August, 1980 :—

1. Shri J. C. Narang
2. Shri Ashok Kumar Narang
3. Shri J. L. Gera

2. This will be without prejudice to the claim of other officers who may also be considered suitable for promotion.

**The 29th June, 1985**

**No, 4/322-B&R(Estt)-6-81.**—In pursuance of the provisions Rule 8(9) of the Punjab service of Engineers Class I, P. W. D. B&R Branch Rules 1960, the Governor of Haryana is pleased to declare, in consultation with the Haryana Public Service Commission, the following officiating Executive Engineers, as suitable for appointment to the Haryana Service of Engineers Class I (Civil) P. W. D., B&R Branch as per recommendation of the Screening Committee meeting held on 1st September, 1980:—

1. Shri S.C.Kaura
2. Shri K. G. Gupta
3. Shri. T. C. Rewaria
4. Shri S. K. Chopra
5. Shri Bod Raj
6. Shri A. S. Parmar
7. Shri Dharam Pal
8. Shri Chand Ram
9. Shri O. P. Gupta
10. Shri G. L. Sharma
11. Shri G. D. Makkar
12. Shri H. S. Chahal
13. Shri I. S. Goel
14. Shri Rajendera Parsad Bansal
15. Shri Anand Swarup
16. Ghansham Dass
17. Vasu Dev Deswal
18. Shri Ram Partap Bansal.

2. This will be without prejudice to the claims of other officers who may also be considered suitable for promotion.

VIRENDRA NATH,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
P.W.D. B&R. Branch, Chandigarh.